वार्षिक रिपोर्ट -गवर्नर का प्राक्कथन

1. रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट से जनसामान्य को गत वर्ष की आर्थिक गतिविधियों के खुलासे तथा पूरे किए गए अभीष्ट कार्यों एवं आगामी वर्ष में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों दोनों की जानकारी प्राप्त होती है।

वर्तमान समष्टि-आर्थिक परिदृश्य में चुनौतियां

2. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में समष्टि-आर्थिक स्थिरता को क़ायम रखने के लिए मिलकर कार्य कर रहे थे। जहां नीतिगत कार्रवाइयों के सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं वहीं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी ''कार्य प्रगति पर'' है की स्थिति बनी हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि से तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण बने रहेंगे। पहला क्षेत्र आर्थिक विकास का है, जिसमें उभार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी भी वह उस स्तर से नीचे है जहां तक जाने की देश में क्षमता मौजूद है। प्रमुख कमज़ोरी निवेश को लेकर है, साथ ही निजी कारपोरेट निवेश मंद पड़ गया है क्योंकि क्षमताओं का उपयोग कम हो रहा है, और कुछ क्षेत्रों में सरकारी निवेश की गति भी धीमी है। दूसरा क्षेत्र मुद्रास्फीति के अनुमानों का है जो अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य की उच्चतम सीमा पर बना हुआ है। जहां रिज़र्व बैंक बचतकर्ताओं की इस अपेक्षा कि उन्हें सकारात्मक वास्तविक ब्याज दरें प्राप्त हों तथा कारपोरेट निवेशकों एवं खुदरा उधारकर्ताओं की सांकेतिक उधार दरें न्यून हों, के बीच तालमेल बिठाना चाहता है, वहीं नीतिगत दरों में कटौती की गुंजाइश तभी पैदा हो सकती है जब मुद्रास्फीति के और नीचे आने का अनुमान हो। तीसरा क्षेत्र बैंकों द्वारा उनकी उधार दरों में कमी करने के बारे में उनकी खामोशी है, न केवल कमज़ोर कारपोरेट निवेश ने नये लाभप्रद ऋणों की मात्रा को कम किया है बल्कि उनकी दबावग्रस्त आस्तियों ने उनकी पूंजी की हालत को तंग बना दिया है, जो उन्हें उन्मुक्त रूप से उधार देने से रोकती है। निश्चित ही, निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उद्योग एवं लघु कारोबार को उधार देने के प्रति अनिच्छा अधिक साफ दिखाई देती है।

3. जहां इन क्षेत्रों के सरोकारों में वर्ष के दौरान कुछ अधिक बदलाव नहीं हुआ है, वहीं कुछ प्रगति ऐसी हुई हैं जिसे अच्छा शकुन कहा जा सकता है। अच्छे मानसून की उम्मीद (जो अब तक पूरी हुई है) तथा सरकारी सेवकों के हाथों में ज्यादा पैसे (सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फलस्वरूप) से उपभोक्ता मांग में तेज़ी आएगी। मांग की स्थिति में सुनिश्चित तेजी आ जाने पर क्षमता के उपयोग में वृद्धि की संभावना है तथा निवेश भी बढ़ने की उम्मीद है। एक अच्छे विकास चक्र की संभावना इस आशा पर बन रही है कि हाल में किए गए सुधार जैसे संसद द्वारा पारित वस्तु एवं सेवा कर क़ानून के लाभ अवश्य मिलेंगे।

4. रिज़र्व बैंक की अल्पकालिक प्राथमिकता इस बात पर फोकस करना बनी रहेगी कि मुद्रास्फीति को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्थात् 4 प्रतिशत तक लाना है, इसके लिए अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनम्र ग्लाइड-पथ का अनुसरण किया है, और जनवरी 2016 में उसे 6 प्रतिशत नीचे लाने के बाद मार्च, 2017 तक 5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है; दबावग्रस्त परियोजनाओं के समाधान के लिए सरकार और बैंकों के साथ मिलकर इस कार्य में तेज़ी लाना तथा बैंकों के तुलनपत्रों को स्वच्छ बनाने का कार्य पूरा करना है; यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास प्रावधान करने के लिए पूंजी उपलब्ध हो, नये उधार को समर्थन दे सकें, और इस प्रकार भविष्य में दरों में संभावित कटौती के लाभ लोगों तक पहुंचने दें। मैं इन प्राथमिकताओं के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

मुद्रास्फीति लक्ष्य और मौद्रिक नीति समिति

5. सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य अधिसूचित कर दिया है और मौद्रिक नीति समिति की संरचना एवं कार्यों की रूपरेखा निर्धारित कर दी है। मौद्रिक नीति समिति के गठित हो जाने के बाद उसे भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने का कार्य सौंप दिया जाएगा। यह मौद्रिक नीति की पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने, निरंतरता बनाए रखने तथा उसके स्वावलंबी होने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है।

चलनिधि ढांचा

6. नई मौद्रिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू चलनिधि प्रबंधन है। भातीय रिज़र्व बैंक इसकी समीक्षा करने के बाद अप्रैल 2016 में एक नई चलनिधि संरचना की दिशा में अग्रसर हो गया है। अब प्रणाली की स्थायी चलनिधि आवश्यकता और अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकता के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट हो गया है, और रिज़र्व बैंक का यह इरादा है कि समग्र रूप से स्थायी चलनिधि की आवश्यकता की आपूर्ति करते हुए मध्यावधि में लगभग तटस्थ स्थिति बनाए रखने की ओर बढ़ा जाए। जब भारतीय रिज़र्व बैंक को तटस्थता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तब वर्ष के दौरान अस्थायी अवधि के लिए चलनिधि के अधिशेष को काफी हद तक अस्थायी चलनिधि की कमी वाली अवधि के समान बना लिया जाएगा। जहां निवल स्थायी चलनिधि की आवश्यकता को किसी प्रकार की निवल विदेशी मुद्रा खरीद को ध्यान में रखते हुए सरकारी बांड के खुला बाज़ार परिचालन के माध्यम से पूरा किया जाएगा वहीं अस्थायी चलनिधि की आवश्यकता का समाधान चलनिधि विंडो और ओवरनाइट/मीयादी रेपो/रिवर्स रेपो के माध्यम से किया जाएगा।

दबावग्रस्त आस्तियां और तीव्र समाधान

7. अल्पकालिक फोकस का एक तीसरा क्षेत्र दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान प्रस्तुत करना है जिसकी समष्टि-आर्थिक प्रासंगिकता है। वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा से बैंकों के एनपीए एवं प्रावधान के निर्धारण में अत्यधिक सुधार आया है। कुछ बैंकों ने दबाव शुरू होने से पूर्व के संकेत पहचानने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

8. अब अधिक फोकस दबावग्रस्त आस्तियों की परिचालनगत क्षमता को बेहतर बनाने तथा समुचित पूंजी ढांचा बनाने पर होना चाहिए ताकि सभी हितधारकों का फायदा हो सके। इसके लिए दो मोर्चों पर कार्रवाई एकसाथ करनी पड़ेगी। जहां आवश्यक हो, नई प्रबंधन समिति लाना पड़ेगा, कभी-कभी उत्तराधिकारी के रूप में, और जहां संभव नहीं है वहां प्रबंधक के रूप में। सरकारी क्षेत्र की फर्मों अथवा निजी क्षेत्र के एजेंटों का यथासंभव उपयोग करने के साथ-साथ नई प्रबंधन समिति की सृजनशील खोज ज़रूरी है, क्योंकि ये सुसंरचित निष्पादन प्रोत्साहन हैं जैसे नकदी प्रवाहों को पूरा करने के लिए बोनस/लाभ बेंचमार्क और स्टॉक आप्शंस। लेकिन, यदि मौजूदा प्रवर्तक योग्य एवं भरोसेमंद हैं तो उन्हें बनाए रखा जाए। समान रूप से महत्वपूर्ण यह भी है कि परियोजना की स्थिति को देखते हुए पूंजी ढांचे की यथोचित रूप से काट-छांट की जाए। यदि ऋण पहले से ही एनपीए बन चुका है तो ऐसी स्थिति में जिस स्तर तक उसकी पुन:रचना संभव हो की जाए। यदि ऋण मानक अवस्था में है किंतु परियोजना संघर्ष कर रही है तो हमारे पास अनेक ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से परियोजना के लिए अधिक कारगर पूंजी ढांचा तैयार किया जा सकता है। इन योजनाओं में शामिल हैं 5/25, एसडीआर और एस4ए। यहां एक चेतवानी देना उचित रहेगा: इस समय कुछ कठिनाइयां इस प्रकार की पैदा हो रही हैं कि बैंकों द्वारा योजना को वास्तवकि रूप से लागू नहीं किया जाता है जिससे ऋण के एनपीए बन जाने की पहचान करने की कार्रवाई स्थगित हो जाती है बजाय इसके कि सावधानीपूर्वक कदम उठाते हुए उसके प्रबंधन को प्रभावित किया जाए अथवा पूंजी की संरचना में परिवर्तन किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक यह निगरानी रखना जारी रखेगा कि योजनाओं का उपायोग अपेक्षा के अनुसार किया जा रहा है।

मध्यावधि सुधार

9. मध्यावधि में हमें वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रवेश दिलाकर एवं स्पर्धा के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जब स्पर्धा समान स्तर पर होगी तब सबसे उपयुक्त संस्थाएं ही टिकी रह पाएंगी, इसलिए जहां संभव हो हमें रेगुलेटरी विशेषाधिकार एवं बाधाओं को हटाना पड़ेगा, खासतौर से ऐसे जो स्वामित्व के किसी प्रकार अथवा कुछ खास प्रकार के संस्थागत स्वरूप को लेकर पक्षपातपूर्ण हों। वित्तीय क्षेत्र में मध्यवाधि रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अभिशासन, लागत संरचना और तुलनपत्र सहित सभी प्रकार से सुदृढ़ बनाना है। एक अन्य इरादा जो सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू है, सायबर जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन को मज़बूत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षण इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखेगा, और रेगुलेशंस या उपचारात्मक योजना का पालन न करने पर कड़ाई के साथ जुर्माना लगाया जाएगा।

10. हमारे वित्तीय बाज़ार के आकार, गहराई और चलनिधि को बढ़ाने के लिए हमें सहभागिता को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। सहभागिता में विस्तार वित्तीय सहायता या सब्सिडी देकर नहीं बल्कि सहायता प्रदान करने वाली संरचना तैयार करके तथा नई संस्थाएं बनाकर अच्छी तरह किया जा सकता है जो पारदर्शिता, संविदा-प्रवर्तन को बेहतर बनाती है तथा बाज़ार सहभागियों को गलत प्रथाओं से सुरक्षित रखती है। सहायक संरचना की लागतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है तथा अभी भी वित्तीय दायरे से बाहर आबादी को उसके भीतर ला सकती है।

11. अंत में, जैसे-जैसे अधिक से अधिक संस्थाओं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्यादा लोगों को वित्तीय प्रणाली में लाया जाएगा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पर्याप्त रूप से सूचित किया जाता रहे तथा उन्हें सुरक्षित रखा जाए। वर्ष 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 सिद्धांत दिए थे जिन्हें बैंकों को ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में पालन करना था। हमने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहक अधिकार के इस चार्टर को लागू करें तथा उनसे यह भी कहा गया है कि वे शिकायत निवारण प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक रूप से लोकपाल की नियुक्ति करें। अब हम इस बात की जांच करेंगे कि बैंक इसमें कितने सफल हो रहे हैं, और क्या उपभोक्ता संरक्षण के लिए और अधिक रेगुलेशंस की आवश्यकता है। हम इस वर्ष विशेष रूप से उत्पादों की नियम विरुद्ध बिक्री के मामले पर फोकस करेंगे, खासतौर से बीमा उत्पादों पर। हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वे यह जान सकें कि वित्तीय अवसरों का सबसे अधिक फायदा किस प्रकार उठाया जा सकता है, तथा उनकी सुरक्षा करने पर फोकस करेंगे। अंत में, हम शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को दो तरह से विस्तार देने के संबंध में कार्य करेंगे, एक जो वित्तीय संस्थाओं के भीतर होगी तथा यदि ग्राहक उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजना के माध्यम से। इसमें खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था को मज़बूत बनाना महत्वपूर्ण होगा।

12. आंतरिक रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ की विशेषज्ञता को बढ़ाने का प्रयास जारी रखेगा, वहीं निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली तथा कौशल-निर्माण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि कमज़ोरियों की पहचान की जा सके और उन्हें दूर करने की कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ स्टाफ को विभिन्न अवसरों का अनुभव प्रदान करते हुए नेतृत्व निर्माण एवं उनके सामान्य प्रबंधन कौशल पर ज़ोर दिया जाएगा। अधिक प्रयास इस बात पर होगा कि बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को निरंतर स्वयं-सुधार हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाए भले ही पदोन्नति स्वाभाविक रूप से होती रहे।

13. नि:संदेह इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य कर रहा है। मैं रिपोर्ट के शेष हिस्सों के बारे में दखलअंदाज़ी नहीं करना चाहता, यह इस अत्यधिक समृद्ध दस्तावेज़ की संक्षिप्त प्रस्तावना मात्र है । इसे पढ़ने और विशेष रूप से हमारे केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में रुचि प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद।